संख्या–1651 / V–2 / 21 / 11(एलू0यू0सी0)2003

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य प्रशासक,**
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2. **उपाध्यक्ष,**
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

3. **उपाध्यक्ष,**
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 06 अक्टूबर, 2021।

विषयः महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्क निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1895/V/आ0–2016–11(एलू0यू0सी0) / 03–2016, दिनांकः 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या–1196/V-2/ 11(एलू0यू0सी0) / 03–2016, दिनांकः 06.09.2019 द्वारा महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन के लिए शुल्कों का निर्धारण किया गया है।

2– महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में विभिन्न स्तरों पर हुए व्यापक विचार–विमर्श के अनुक्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों में उल्लिखित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों को निम्नानुसार संशोधित / प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरें: भू–खण्ड पर सर्किल रेट का प्रतिशत

क्र. सं	महायोजना में भू–उपयोग	कृषि एवं हरित क्षेत्र	परिवहन एवं संचार	मनोरंजन एवं पर्यटन	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	आवासीय	औद्योगिक	व्यावसायिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृषि एवं हरित क्षेत्र	–	10	10	15	15	15	15
2	परिवहन एवं संचार	–	–	10	15	15	15	15
3	मनोरंजन एवं पर्यटन	–	–	–	15	15	15	15
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	–	–	–	–	15	15	15

5	आवासीय	–	–	10	10	–	1–सूक्ष्म उद्योग–20 2–लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग–100	15
6	औद्योगिक	–	–	10	10	15	–	15
7	व्यवसायिक	–	–	–	–	–	–	–

3– शासनादेश सं0–1895/V/आ0–2016–11(एलू0यू0सी0)/03–2016, दिनांकः 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या–1196/V-2/11(एलू0यू0सी0)/03–2016, दिनांकः 06.09.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4– उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या– /V-2/2021–11(एल0यू0सी0)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
4– निजी सचिव, मा० आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव